भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में "विकरण चिकत्सा **प्रौद्योगिकीविदि्**" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में **"विकरण चिकत्सा प्रौद्योगिकीविदि्"** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपतिधारक, यदि वे चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल कर - सकते हैं।

गणेश कुमार

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23063481

नई दिल्ली
दिनांक :

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्	08* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	चयन।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2022

सा.का.नि. …………- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के विकिरण चिकित्सा प्रभाग में विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग और डिप्लोमा के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव। या (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में तीन वर्ष का बी.एससी डिग्री कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिग्री के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव । या (iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी (एईआरबी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिप्लोमा के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** नवीनतम तकनीक/उपकरणों वाले किसी उन्नत विकिरण चिकित्सा केंद्र/संस्थान में में कार्य करने का अनुभव। टिप्पण: 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएंगे, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए,	आयु: लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ	दो वर्ष ।	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऐसे कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग/मंत्रालय द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है):</u>** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त या कानूनी संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का प्रशासन का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य; 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)निम्नलिखित से मिल कर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12 वीं कक्ष उत्तीर्ण। 2. (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का <u>दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा</u> कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग। या (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में <u>तीन वर्ष का बी.एससी डिग्री</u> कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण । या (iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी (एईआरबी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का <u>दो वर्ष का</u> डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिप्लोमा के बाद <u>कम से कम तीन वर्ष का अनुभव</u> । <u>**वांछनीय:**</u> नवीनतम तकनीक/उपकरणों वाले किसी उन्नत विकिरण चिकित्सा केंद्र/संस्थान में में कार्य करने का अनुभव। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति	श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के प्रशासन का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य; 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	

की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[ए.11018/06/2022-एमएच-II]

(गणेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार